

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 468]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 6 सितम्बर 2022—भाद्र 15, शक 1944

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 सितम्बर 2022

क्र. एफ ए 3-81-2017-1-पांच (58).—इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ ए 3-81-2017-1-पांच (53), दिनांक 26 जुलाई, 2022 में निम्न शुद्धि-पत्र प्रकाशित किया जाता है:—

शुद्धि-पत्र

उक्त अधिसूचना में, शब्द और अंक “धारा 11 की उप धारा (1) और धारा 16 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-ए-3-81-2017-1-पांच (144), दिनांक 14 नवम्बर 2017 में प्रकाशित किया गया था” के स्थान पर शब्द और अंक “धारा 11 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-ए-3-81-2017-1-पांच- (144), दिनांक 14 नवम्बर 2017” पढ़ा जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.